



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक :सम्ब/2016/2026 दिनांक :17/10/2026

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. समस्त निदेशक/समन्वयक/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय आवासीय इकाई।

विषय: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं का डाटा अपलोड एवं ई-केवाईसी सत्यापन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान/विभाग की लॉगिन आई०डी० पर प्रदर्शित योजना हेतु पात्र छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा ई-केवाईसी एवं अन्य आवश्यक सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कोई भी पात्र छात्रा योजना के लाभ से वंचित न रहे। उक्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. डा० अनिल गुप्ता, नोडल अधिकारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव





डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

कुलसचिव,

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषय: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं का डाटा अपलोड एवं ई-केवाईसी सत्यापन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुलसचिव कार्यालय के पत्रांक संख्या आर०/145/2026, दिनांक 15.10.2026 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रानीलक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा ई-केवाईसी एवं अन्य आवश्यक सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में अवगत कराना है कि डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सत्र 2025-2026 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय एवं परिसर की स्नातक स्तर समस्त उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 28897 है। शासनादेश के अनुसार 5 प्रतिशत टॉप मैरिट की छात्राओं की संख्या 1445 है जिसका कटऑफ 85.12 प्रतिशत है। इस तरह अभी तक 5 प्रतिशत छात्रायें + दिव्यांग छात्रायें (10 प्रतिशत कम) + निराश्रित छात्राओं (10 प्रतिशत कम 5 प्रतिशत मैरिट से) की संख्या अभी तक पोर्टल पर 1310 हुयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करे, ताकि शेष छात्रायें शासन की योजना से वंचित न रह जाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पत्र के माध्यम से महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं को सूचित किये जाने के पत्र निर्गत किये जा चुके हैं, उसके पश्चात भी शेष पात्र छात्रायें अभिलेख लेकर उपस्थिति नहीं हुयी है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र छात्राओं का डाटा अपलोड एवं सत्यापन पूर्ण कराया जा सके किसी भी पात्र छात्रा के शेष रह जाने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होंगे।

नोडल अधिकारी 17/10/26

परीक्षा नियंत्रक



Scanner AI Pro